

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015

IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

फॉर्म बी [विनियम 10 देखें]
FORM B [See regulation 10]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: आईएमएफ10720420260956
Registration No: IMF10720420260956

समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा “**पॉलिसीमणि आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड**” को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन **बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ)** के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई शर्तों और आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता। उक्त बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) को **महाराष्ट्र** राज्य में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a certificate of registration to “**POLICYMANI IMF PRIVATE LIMITED**” to act as **Insurance Marketing Firm (IMF)** under that Act.

The certificate of registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firms) Regulations, 2015. The certificate of Registration shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority. The IMF shall be allowed to operate in the state of **Maharashtra**.



स्थान / Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date : 13 अप्रैल 2026 / 13 April 2026

आदेशानुसार / By Order

JOSYUL

A

ANITA

Digitally signed
by JOSYULA

ANITA

Date:

2026.04.13

11:51:40 +05'30'

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओ से

For and on behalf of Insurance Regulatory
and Development Authority of India